भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 389
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 05 फरवरी, 2024
16 माघ, 1945 (शक)

बिहार के स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया जाना

389. श्रीमती वीणा देवी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित स्मारकों और स्थलों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त स्मारकों अथवा स्थलों पर कितना व्यय किया गया;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे स्मारकों से सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का बिहार के वैशाली जिले में किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): बिहार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों और स्थलों की जिले-वार संख्या **अनुबंध** में दी गयी है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान इन स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और रखरखाव पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

वर्ष	**व्यय**
2018-19	1.76
2019-20	1.45
2020-21	1.23
2021-22	3.35
2022-23	9.00

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में टिकट वाले पांच स्मारकों में प्रवेश शुल्क से एकत्रित राजस्व निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

वर्ष	**राजस्व**
2020-21	0.87
2021-22	1.50
2022-23	3.89

(घ) और (ड.): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 05.02.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 389 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बिहार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों और स्थलों की जिले-वार संख्या

क्र. सं.	जिला	स्मारकों और स्थलों की संख्या
1.	औरंगाबाद	01
2.	भागलपुर	04
3.	बक्सर	01
4.	पूर्वी चम्पारण	03
5.	गया	11
6.	जहानाबाद	09
7.	कैमूर	02
8.	किशनगंज	01
9.	मधुबनी	01
10.	मुजफ्फरपुर	01
11.	नालंदा	08
12.	पटना	11
13.	रोहतास	05
14.	सारन	01
15.	सीवान	01
16.	वैशाली	03
17.	पश्चिमी चम्पारण	07
		कुल 70

*****